"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 250] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 अगस्त 2011—श्रावण 28, शक 1933

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-08/दो-गृह/रापुसे/2005.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2005 में, 1 जुलाई, 2008 के भूतलक्षी प्रभाव से, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 1 के सामने कॉलम (2), में शीर्षक "सम्मिलित पदों के नाम" के अंतर्गत, शब्द "उप पुलिस अधीक्षक-मुख्यालय" के पूर्व, शब्द "उप पुलिस अधीक्षक," अन्त:स्थापित किया जाये.

2. अनुसूची-तीन की संलग्न टीप का लोप किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2011

क्रमांक एफ 2-08/दो-गृह/रापुसे/2005.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 19-08-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

Raipur, the 19th August 2011

NOTIFICATION

No. F 2-08/2-Home/SPS/2005.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Consitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Police Executive (Gazetted) Services Recruitment and Promotion Rules, 2005 with retrospective effect from 1 July, 2008, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said Rules,—

1. In Column (2) against serial number 1 of Schedule-III, under the heading "Name of posts Included", before the words "Dy. Supdt. of Police (Hqrs)" the words "Deputy Superintendent of Police," shall be inserted.

2. "NOTE" appended to Schedule-III shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
WILLIAM KUJUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.